


फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
 श्रीमति प्रीतम कौर व अन्य बनाम माला सिंह व अन्य  
 विविध प्रार्थना संख्या 2024/002  
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
01.02.2024	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सतपाल द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ-पत्र, एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 3 सी बड़ी, पटवार हल्का पक्की, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हिन्दूमलकोट, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 142/72 के मु.न. 30 व 48 में कुल 9.1710 हैक्टे0 नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रार्थीयागण प्रत्येक का 7634/9171 हिस्सा यानि कि तीनों का कुल 2.2920 हैक्टे0 कृषि भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, बैक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक जाहिर करे अन्यथा क्यों ना अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 10 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29 फरवरी, 2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                   शिवा पोधी                  (R.A.S.)                  सहायक कलक्टर एवं                  कार्यापालक दण्डनायक                  (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर             </p> <p>29.02.24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी                  अधिवक्ता के सहायक कलक्टर को पत्रावली रजिस्टर्ड                  नोटिस की रसीदें पेश की, शिवा पोधी</p> <p style="text-align: center;">                 आज बार सचन कार्य नहीं करन                  का निर्णय लिया है। पत्रावली                  पूर्वानुसार दिनांक 08/04/24                  को पेश हो।             </p>	



8-4-24 आज पीठासीन अधिकारी... परावली पूर्वानुसार  
दिनांक 16-5-24 को पेज हो

16.05.24 अधिवक्तागण उक्त। प्राप्ति अधिवक्ता  
की शेष प्रशासिका की शर्तों हेतु शीघ्र  
समाप्त किया जाने की दिशा में गरीब प्रशासिका  
वाले शर्तों हेतु दिनांक 26-06-24 को पेज  
9

26/6/24 आजवार कार्य नहीं करन  
का निणय है। परावली  
पूर्वानुसार दिनांक 8-8-24  
को पेज हो

6.08.24 अधिवक्तागण उक्त। प्राप्ति अधिवक्ता  
की शेष प्रशासिका की शर्तों  
हेतु शीघ्र समाप्त किया जाने की दिशा में  
गरीब प्रशासिका वाले शर्तों दिनांक  
26/08/24 को पेज हो

30/8/24 आज पीठासीन अधिकारी... परावली पूर्वानुसार  
दिनांक 8/10/24 को पेज हो

08.10.24 अधिवक्तागण उक्त। परावली पूर्वानुसार  
दिनांक 11.11.24 को पेज हो

11.11.24 आज पीठासीन अधिकारी... परावली पूर्वानुसार  
दिनांक 02.01.25 को पेज हो

02.01.25 अधिवक्तागण उक्त। प्राप्ति अधिवक्ता  
की शर्तों हेतु शीघ्र समाप्त किया जाने की दिशा में  
गरीब प्रशासिका वाले शर्तों दिनांक  
22/01/25 को पेज हो

27.01.25 अधिवक्तागण उक्त। प्राप्ति अधिवक्ता  
की शर्तों हेतु शीघ्र समाप्त किया जाने की दिशा में  
गरीब प्रशासिका वाले शर्तों दिनांक  
10/01/25 को पेज हो

10/01/28

आज बार मघ न कार्य नहीं करन  
का निर्णय लिया है। पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 21/01/28  
को पेश हो।

21/01/28

अधिकांशकतः उपर पत्रावली  
वास्तु नकली हेतु फिलॉ  
24/01/28 को पेश हो।

24/02/28

अधिकांशकतः उपर पत्रावली  
वास्तु नकली अथवा प्रमाण हेतु  
दिनांक 12/03/28 को पेश हो।

12/03/28

आज पीठमार्ग अधिकारी... द्वारा प्रशा. माली के पास  
पर है, पत्रावली पूर्वनुसार  
दिनांक 18/03/28 को पेश हो।

18/03/28

अधिकांशकतः उपर पत्रावली  
वास्तु नकली अथवा प्रमाण हेतु  
दिनांक 28/03/28 को पेश हो।

25/03/28

अधिकांशकतः उपर पत्रावली  
पत्रावली के अन्तर्गत 11 CPD  
मुजीगी, पत्रावली मुलकाय  
के साथ दिनांक 28/03/28 को पेश हो।

28/03/28

अधिकांशकतः उपर पत्रावली मुक्ति मुलकाय  
पत्रावली में शां पत्र 11 CPD स्वीकार किया  
जाकर मुलकाय खारिज किया जा चुका है।  
अनः कि. शां पत्र 212 एनए रु. 2024/002  
अन्तर्गत प्रीतमगौर व अन्तर्गत माला सिंह व अन्तर्गत  
का कोई अंशिल गयी रह जासकी इसलिए  
कि. शां पत्र 212 एनए परमाणु स्तर पर खारिज  
किया जाता है पत्रावली नकली हो पत्रावली  
प्राप्त्य पंजीयन के अन्तर्गत को पत्रावली  
की सूची के शां पत्र हो।